



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक-13.11.2021

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित 01 शातिर अभियुक्त मय 01 अदद अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी टीला मोड़ के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा काफी समय से वांछित चल रहे 01 शातिर लूटेरे को 01 अदद तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 27/05/21 को बंथला नहर से टाटा 407 मय 404 पेटी अंग्रेजी शराब लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 265/21 धारा 392,411 भादवि में तथा मु0अ0सं0 593/21 धारा 386,323,506 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त रज्जू उर्फ रजत पुत्र विनोद नि0 ग्राम गनौली थाना लोनी गा0बाद को दिनांक 12/11/2021 को मुखबिर की सूचना पर चौकी रिस्तल क्षेत्र में बंथला नहर पुलिया के पास जावली के खण्डहर से एक अदद तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 594/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम रज्जू उर्फ रजत उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- रज्जू उर्फ रजत पुत्र विनोद नि0 ग्राम गनौली थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त से बरामदगी -

एक अदद तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

- (1) मु0अ0सं0 23/15 धारा 147,148,149,307,411,414 भादवि व 4/25 शस्त्र अधि0, थाना चांदी नगर, बागपत
- (2) मु0अ0सं0 95/21 धारा 307,323,506 भादवि, थाना चांदी नगर, बागपत
- (3) मु0अ0सं0 162/21 धारा 174ए भादवि, थाना चांदी नगर, बागपत
- (4) मु0अ0सं0 150/17 धारा 411,414 भादवि व 102,41 दंप्तरं0 थाना लोनी गाजियाबाद
- (5) मु0अ0सं0 394/19 धारा 392 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
- (6) मु0अ0सं0 429/19 धारा 394,504 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
- (7) मु0अ0सं0 536/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद
- (8) मु0अ0सं0 1068/19 धारा 2/3 गैंग0 अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद
- (9) मु0अ0सं0 265/21 धारा 392,411 भादवि थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
- (10) मु0अ0सं0 593/21 धारा 386,323,506 भादवि थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
- (11) मु0अ0सं0 594/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना टीला मोड़ गा0बाद



थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दहेज अधि० के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दहेज अधि० के अभियोग मे वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र वाकेश को ग्राम औरंगाबाद फजलगढ से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

राहुल पुत्र वाकेश निवासी ग्राम औरंगाबाद फजलगढ थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद

अभियोग का विवरण:-

1.मु०अ०स० 552/21 धारा 498ए,323,328 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना भोजपुर गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा चोरी के 02 मोबाइल सहित 01 शातिर चोर गिरफ्तार ।

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 13.11.21को समय 10.50 बजे खजूर पार्क से पहले गुरुद्वारे के पास चौकी सीमा क्षेत्र थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि० विमल मौर्य पुत्र श्री छत्रपाल मौर्य नि० ई 302 गली न० 11 ईस्ट गोकुलपुर कीर्ति प्रोपर्टी के सामने दिल्ली उम्र 27 वर्ष को मय दो अदद चोरी के मोबाइल फोन नोकिया व ITEL कंपनी सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि० विमल मौर्य उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह दोनो फोन मैंने काफी समय पहले दिल्ली से अलग अलग स्थानों से चोरी किये है। जिनको आज मैं बेचने का प्रयास कर रहा था जिससे मैं अपना खर्चा चला सकूँ। जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु०अ०स० 2234/21 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

विमल मौर्य पुत्र श्री छत्रपाल मौर्य नि० ई 302 गली न० 11 ईस्ट गोकुलपुर कीर्ति प्रोपर्टी के सामने दिल्ली उम्र 27 वर्ष



अभि0गण का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 2234/21 धारा 414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संदीप कुमार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. है0का0 है0का0 281 रफीक खान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

दो अदद मोबाइल फोन नोकिया व ITEL कंपनी चोरी के

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एटीएम से रुपये निकालने गये सीधे साधे लोगो से धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला 1 अभि0 गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न भिन्न बैंको के 20 एटीएम कार्ड तथा 01 अदद चाकू नाजायज बरामद ।

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 13.11.21 को समय 09.10 बजे सी ब्लॉक के नजदीक बिजली घर के कोने से 60 कदम लोहिया पार्क की ओर राजेन्द्र नगर से शिव चौक की ओर आने वाले रास्ते पर शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि0 गौरव शर्मा पुत्र संजय शर्मा नि0 ई 407 वेस्ट करावल नगर गली न0 2 गोकलपुरी दिल्ली नोर्थ दिल्ली हाल पता (पण्डित के मकान में किराये पर) साढ़े चार पुस्ता करतारपुर गली न0 17 थाना उस्मान पुर दिल्ली उम्र 24 वर्ष को मय 20 अदद एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंको के तथा एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गौरव शर्मा उपरोक्त द्वारा दिल्ली, हरियाणा, व आस पास के राज्यों व एनसीआर क्षेत्र में एटीएम में पैसे निकाले गये सीधे सादे लोगो को मदद के बहाने भरोसा देकर धोखाधड़ी कर कर उनका एटीएम बदल लेना व बातों बातों में पिन कोड जान लेना तथा बदले हुए एटीएम से पैसे निकाल लेना । तथा अभि0 गौरव शर्मा से बरामद शुदा चाकू के वारे में लाइसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 2232/21 धारा 420/414 भादवि व मु0अ0स0 2233/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

गौरव शर्मा पुत्र संजय शर्मा नि0 ई 407 वेस्ट करावल नगर गली न0 2 गोकलपुरी दिल्ली नोर्थ दिल्ली हाल पता (पण्डित के मकान में किराये पर) साढ़े चार पुस्ता करतारपुर गली न0 17 थाना उस्मान पुर दिल्ली उम्र 24 वर्ष

अभि0गण का अपराधिक इतिहास-

1. मु भादवि 414/420 धारा 21/2232 0अ0स0
2. मुआम्स एक्ट 25/4 धारा 21/2233 0अ0स0

बरामदगी का विवरण:-

भिन्न भिन्न बैंको के 20 अदद एटीएम कार्ड तथा एक अदद चाकू नाजायज